



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 आषाढ़ 1948 (श10)
(सं० पटना 690) पटना, मंगलवार, 30 जून 2026

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(जनगणना कोषांग)

अधिसूचना
30 जून 2026

सं० 16/जनगणना कोषांग (अधिसूचना)-12-02/2025-208/(ज0को0) भारत सरकार के गृह मंत्रालय (भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय), नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या-का. आ. 3472(अ) दिनांक 27.06.2026, जो भारत के असाधारण राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में दिनांक-27.06.2026 को प्रकाशित की गई है, उसे सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राज्य के राजपत्र में इसके द्वारा पुनः प्रकाशित किया जाता है:

“गृह मंत्रालय”
(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2026

का.आ. 3472(अ).— केन्द्रीय सरकार, जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 17क के साथ पठित जनगणना नियम, 1990 के नियम 6घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में भारत की जनगणना, 2027 के दूसरे चरण के पूर्व-परीक्षण के संचालन के लिए उक्त अधिनियम के उपबंधों का विस्तार, निम्नानुसार करती है:-

- जनसंख्या गणना का पूर्व परीक्षण चयनित नमूना क्षेत्रों में 6 जुलाई, 2026 से 18 जुलाई, 2026 तक संचालित किया जाएगा, इसका पुनरीक्षण दौर 19 जुलाई, 2026 से 20 जुलाई, 2026 तक किया जाएगा।
- 1 जुलाई, 2026 से 5 जुलाई, 2026 तक स्व-गणना के लिए विकल्प होगा।

[फा.सं. 9/8/2025-सी.डी. (सेन)]

मृत्युंजय कुमार नारायण,
भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त।

2. उपरोक्त केन्द्रीय अधिसूचना के आलोक में, बिहार राज्य के चयनित नमूना क्षेत्रों/चार्जों में उक्त निर्धारित समय-सारणी के अनुसार भारत की जनगणना-2027 के द्वितीय चरण (जनसंख्या गणना) का पूर्व परीक्षण (Pre-Test) का कार्य संपन्न कराया जाएगा।

3. राज्य के सभी संबंधित पदाधिकारियों/नागरिकों से अनुरोध है कि इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जय सिंह,
सचिव-सह-राज्य नोडल पदाधिकारी
जनगणना-2027

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 690-571+10 डी०टी०पी०।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>